राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)
ई–मेल : seiaacg@gmail.com

विषयः– **राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 14/06/2019 को संपन्न 283वीं बैठक का कार्यवाही विवरण**

–––000–––

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 283वीं बैठक श्री धीरेन्द्र शर्मा, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन की अध्यक्षता में दिनांक 14/06/2019 को संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः–

1. डॉ. मोहन लाल अग्रवाल, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
2. श्री अरविन्द कुमार गौरहा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
3. श्री नीलेश्वर प्रसाद साहू, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
4. डॉ. एम.डब्ल्यु.वाय. खान, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
5. डॉ. विकास कुमार जैन, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
6. डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
7. श्री जी.एल. सांकला, सदस्य सचिव, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गयाः–

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1: दिनांक 13/06/2019 को संपन्न 282वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 282वीं बैठक दिनांक 13/06/2019 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–2: प्रस्तुतीकरण हेतु उपयुक्त पाए गये प्रकरणों का प्रस्तुतीकरण एवं तदनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति/टीओआर हेतु निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स दलबीर सिंह एण्ड सन्स मेड़ेसरा लाईम स्टोन माईन, ग्राम–मेड़ेसरा, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 861)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 34500/2019, दिनांक 09/04/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 26/04/2019 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत

करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 08/05/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान है। ग्राम–मेड़ेसरा, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 1198/3, 1199/1, 1205/1, 1205/2, 1205/3, 1205/4, 1205/5, 1205/6, 1205/7, 1205/8, 1206/1, 1206/2, 1207, 1208, 1210, 1211, 1218, 1220, 1221, 1222, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1239/1, 1240, 1669, 1671/2, 1672/2, 1673/3, 1677/1, 1677/2, 1678, 1680, 1681, 1682 एवं 1683, कुल क्षेत्रफल – 29.2 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,00,000 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व बैठक का विवरण – समिति की दिनांक 11/06/2019 को संपन्न 280वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 14/06/2019 में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

समिति द्वारा बैठक में विचार – समिति की दिनांक 14/06/2019 को संपन्न 283वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण हेतु श्री इंद्रजीत सिंह, पार्टनर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा परीक्षण किया एवं पाया गया कि:–

1. ग्राम पंचायत मेड़ेसरा द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो कि पठनीय नहीं है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईनिंग प्लान एलॉग विथ प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक दुर्ग/चूप/खयो–1197/2018–रायपुर/1504 दिनांक 25/03/2019 है।
3. एल.ओ.आई अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग के ज्ञापन दिनांक 19/09/2018 द्वारा जारी किया गया है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, एनिकेट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि नहीं है।
5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 250/खनिज/2019 दुर्ग, दिनांक 01/06/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 6 खदानें क्षेत्रफल 101.89 हेक्टेयर है।
6. समीपस्थ आबादी ग्राम–नंदनी–खुदंनी 0.82 किलोमीटर, धमधा 9.05 किलोमीटर एवं शहर दुर्ग 19.1 की दूरी पर स्थित है। ग्राम–नंदनी–खुदंनी में स्कूल 1.38 किलोमीटर एवं अस्पताल 1.52 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेलवे स्टेशन

भिलाई पावर हाऊस 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 1.86 किलोमीटर है। छोटा नाला 0.05 किलोमीटर, शिवनाथ नदी 3.7 किलोमीटर एवं अमनेर नदी 5.085 किलोमीटर पर है।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

8. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, दुर्ग के ज्ञापन दिनांक 05/07/2012 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें लीज सीमा से वन भूमि की दूरी का उल्लेख नहीं किया गया है।

9. जियोलॉजिकल रिजर्व 1,91,07,875 टन एवं माईनेबल रिजर्व 1,33,40,750 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (4 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट मेकेनाईस्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर होगी। बेंच की ऊंचाई 6 मीटर एवं चौड़ाई 4 मीटर होगी। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 134 वर्ष है। ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। जल की मात्रा 5 किलोलीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल से की जाएगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भू–जल के उपयोग हेतु सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड से अनुमति लिया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाना प्रस्तावित है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुला क्षेत्र में 4,000 नग प्रतिवर्ष वृक्षारोपण किया जाएगा। उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	**प्रस्तावित उत्खनन की मात्रा (टन)**
प्रथम वर्ष	51,000
द्वितीय वर्ष	75,000
तृतीय वर्ष	99,000
चतुर्थ वर्ष	99,900
पंचम वर्ष	99,900

10. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस खदान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है।

11. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र में क्रशर की स्थापना प्रस्तावित नहीं है।

12. माननीय एन.जी.टी., प्रींसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. इस खदान में 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल का क्लस्टर निर्मित हो रहा है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 250/खनिज/2019 दुर्ग, दिनांक 01/06/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 6 खदानें क्षेत्रफल 101.89 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–मेडेसरा) का रकबा 29.2 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–मेडेसरा) को मिलाकर कुल रकबा 131.09 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गईः–

i. Project Proponent shall submit an action plan for plantation around 7.5 meter of mine lease periphery within one year.
ii. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
iii. Project Proponent shall submit readable NOC copy of gram panchayat.
iv. Project proponent shall submit NOC from CGWA for withdrawal of ground water.
v. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.
vi. Project Proponent shall submit NOC from Forest Department mentioning the distance of forest area from lease boundary.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स अखराडांड आर्डिनरी स्टोन क्वारी, (प्रो.–श्री प्रदीप कुमार ठाकुर), ग्राम–अखराडांड, तहसील–खड़गवां, जिला–कोरिया (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 772)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 93871/2019, दिनांक 01/02/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 23/02/2019 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत

करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 09/05/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित आर्डिनरी स्टोन क्वारी (गौण खनिज) खदान है। ग्राम–अखराडांड, तहसील–खड़गवां, जिला–कोरिया स्थित खसरा क्रमांक 201/1, कुल क्षेत्रफल – 1 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,800 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

पूर्व बैठक का विवरण – समिति की दिनांक 11/06/2019 को संपन्न 280वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 14/06/2019 में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

समिति द्वारा बैठक में विचार – समिति की दिनांक 14/06/2019 को संपन्न 283वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रदीप कुमार ठाकुर, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा परीक्षण किया एवं पाया गया कि:–

1. ग्राम पंचायत अखराडांड द्वारा दिनांक 07/11/2017 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. क्वारी प्लान एलॉग विथ इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनिज अधिकारी, जिला–बलरामपुर द्वारा अनुमोदित की गई है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार स्वीकृत खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई प्रतिबंधित संरचना विद्यमान नहीं है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 32/खनिज /ई–निविदा–अखराडांड/2019/कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 04/04/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. समीपस्थ आबादी ग्राम–अखराडांड 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। स्कूल एवं अस्पताल ग्राम–खड़गवां 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेलवे स्टेशन चिरमिरी 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 35 किलोमीटर एवं राज्यमार्ग 0.4 किलोमीटर है। नाला चेक डेम ग्राम–खड़गवां 2 किलोमीटर पर है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
7. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन दिनांक 02/08/2018 द्वारा जारी किया गया है।

8. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरिया वनमण्डल, बैकुण्ठपुर के ज्ञापन दिनांक 05/05/2018 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार वन भूमि से दूरी 4.63 किलोमीटर है।

9. जियोलॉजिकल रिजर्व 60,000 घनमीटर एवं माईनेबल रिजर्व 34,094 घनमीटर है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.21 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईस्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर होगी। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर होगी। ऊपरी की मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 21 वर्ष है। ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। जल की मात्रा 6 किलोलीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ट्यूब वेल एवं डग वेल से की जाएगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भू-जल के उपयोग हेतु सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड से अनुमति लिया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाना प्रस्तावित है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुला क्षेत्र में प्रथम वर्ष के दौरान 630 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। उत्खनन का विवरण निम्नानुसार हैः-

प्रथम पांच वर्षों की उत्पादन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
2018-19	1,176.15	1.5	1,764.23	4,586.99
2019-20	1,197.68	1.5	1,796.52	4,670.95
2020-21	1,200	1.5	1,800	4,680
2021-22	1,198.14	1.5	1,797.21	4,672.75
2022-23	1,199.93	1.5	1,799.9	4,679.73

आगामी पांच वर्षों की उत्पादन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
छठवे वर्ष	753.96	1.5	1,130.94	2,940.44
	448.62	1.5	672.93	1,749.62
सातवे वर्ष	1,196.59	1.5	1,794.89	4,666.7
आठवे वर्ष	1,199.13	1.5	1,798.7	4,676.61
नौवे वर्ष	1,198.51	1.5	1,797.77	4,674.19
दसवे वर्ष	1,199.93	1.5	1,799.9	4,679.73

10. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः-** पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस खदान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है।

11. माननीय एन.जी.टी., प्रीसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक

13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

12. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिसूचना दिनांक 15/01/2016 द्वारा जारी प्रारुप अनुसार डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान नई होने के कारण वर्तमान में नए प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है। अतः प्रस्तुत डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) के आधार पर पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने हेतु अनुरोध किया गया। समिति द्वारा उक्त अनुरोध को मान्य किया गया।

13. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh)	**Percentage of Capital Investment to be Spent**	**Amount Required for CER Activities (in Lakh)**	**Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)**	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Rs. Lakh)**
Rs. 28	2%	Rs. 0.56	Following activities at primary school village- Akharadand	
			Potable Drinking Water Facility	Rs. 0.20
			Rain Water Harvesting	Rs. 0.50
			Total	**Rs. 0.70**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. इस खदान में 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल का क्लस्टर निर्मित नहीं हो रहा है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 32/खनिज /ई–निविदा–अखराडांड/2019/कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 04/04/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों

का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

अतः समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से ग्राम–अखराडांड, तहसील–खड़गवां, जिला–कोरिया, खसरा क्रमांक 201/1, कुल क्षेत्रफल – 1 हेक्टेयर, आर्डिनरी स्टोन क्वारी (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता – 1,800 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–01** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स ईस्माइल ट्रेडर्स (मुड़ीझरिया आर्डिनरी स्टोन क्वारी), ग्राम–मुड़ीझरिया, तहसील–बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 771)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 93858/2019, दिनांक 01/02/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 23/02/2019 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 10/05/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित आर्डिनरी स्टोन क्वारी (गौण खनिज) खदान है। ग्राम–मुड़ीझरिया, तहसील–बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया स्थित खसरा क्रमांक 309(पार्ट), कुल क्षेत्रफल – 1 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 2,200 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

पूर्व बैठक का विवरण – समिति की दिनांक 11/06/2019 को संपन्न 280वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 14/06/2019 में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

समिति द्वारा बैठक में विचार – समिति की दिनांक 14/06/2019 को संपन्न 283वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मोहम्मद तारिक, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा परीक्षण किया एवं पाया गया किः–

1. ग्राम पंचायत सरईगहना द्वारा दिनांक 12/01/2018 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. क्वारी प्लान एलॉग विथ इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनिज अधिकारी, जिला–बलरामपुर द्वारा अनुमोदित की गई है।

3. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन दिनांक 03/08/2018 द्वारा जारी किया गया है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार स्वीकृत खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई प्रतिबंधित संरचना विद्यमान नहीं है।
5. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 31/खनजि/ई–निविदा–मुड़ीझरिया /2019 कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 04/04/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 1 खदान क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर लगभग 150 मीटर है।
6. समीपस्थ आबादी ग्राम–मुड़ीझरिया 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। स्कूल एवं अस्पताल बैकुण्ठपुर 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 14 किलोमीटर है। नाला 1 किलोमीटर पर है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
8. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरिया वनमण्डल, बैकुण्ठपुर के ज्ञापन दिनांक 05/05/2018 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार वन भूमि से दूरी 1.58 किलोमीटर है।
9. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 03/खनिज/ ई–निविदा–मुड़ीझरिया/ 2019 कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 14/06/2019 के अनुसार स्वीकृत उत्खनिपट्टे क्षेत्र से गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की दूरी लगभग 80 किलोमीटर है।
10. जियोलॉजिकल रिजर्व 60,000 घनमीटर एवं माईनेबल रिजर्व 34,971 घनमीटर है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.21 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईस्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर होगी। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर होगी। ऊपरी की मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 17 वर्ष है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। जल की मात्रा 6 किलोलीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ट्यूब वेल एवं डग वेल से की जाएगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भू–जल के उपयोग हेतु सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड से अनुमति लिया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाना प्रस्तावित है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुला क्षेत्र में प्रथम वर्ष के दौरान 600 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

प्रथम पांच वर्षो की उत्पादन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम वर्ष (2018–19)	1,432.55	1.5	2,148.83	5,586.95
द्वितीय वर्ष (2019–20)	1,435.95	1.5	2,153.93	5,600.21
तृतीय वर्ष (2020–21)	1,456.98	1.5	2,185.47	5,682.22
चतुर्थ वर्ष (2021–22)	1,466.66	1.5	2,199.99	5,719.97
पंचम वर्ष (2022–23)	787.92	1.5	1,181.88	3,072.89

	678.47	1.5	1,017.71	2,646.03

आगामी पांच वर्षों की उत्पादन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
छठवे वर्ष	1,462.62	1.5	2,193.93	5,704.22
सातवे वर्ष	1,464.79	1.5	2,197.19	5,712.68
आठवे वर्ष	1,466.24	1.5	2,199.36	5,718.34
नौवे वर्ष	1,124.54	1.5	686.81	4,385.71
	338.78	1.5	508.17	1,321.24
दसवे वर्ष	1,462.45	1.5	2,193.68	5,703.56

11. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस खदान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है।

12. माननीय एन.जी.टी., प्रीसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

    a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
    b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

13. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिसूचना दिनांक 15/01/2016 द्वारा जारी प्रारुप अनुसार डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान नई होने के कारण वर्तमान में नए प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है। अतः प्रस्तुत डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) के आधार पर पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने हेतु अनुरोध किया गया। समिति द्वारा उक्त अनुरोध को मान्य किया गया।

14. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Rs. Lakh)
Rs. 28	2%	Rs. 0.56	Following activities at Primary school	

			village- Mudijhariya	
			Potable Drinking Water Facility	Rs. 0.20
			Rain Water Harvesting	Rs. 0.50
			Total	**Rs. 0.70**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. इस खदान में 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल का क्लस्टर निर्मित नहीं हो रहा है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 31/खनिज/ई–निविदा–मुड़ीझरिया/2019 कोरिया, दिनांक 14/04/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 1 खदान क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–मुड़ीझरिया) का रकबा 1 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–मुड़ीझरिया) को मिलाकर कुल रकबा 2 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

अतः समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से ग्राम–मुड़ीझरिया, तहसील–बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया, खसरा क्रमांक 309, कुल क्षेत्रफल – 1 हेक्टेयर आर्डिनरी स्टोन क्वारी (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता – 2,200 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–02** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स सुशीला माईनिंग प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–बिरकोल, तहसील–सराईपाली, जिला–महासमुंद (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 658)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/71772/2017, दिनांक 21/12/2017। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 30/12/2017 एवं 22/01/2018 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 10/05/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित (क्वार्टजाईट माईन) खदान है। ग्राम–बिरकोल, तहसील–सराईपाली, जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 964, कुल क्षेत्रफल – 12 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 5,56,500 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व बैठक का विवरण – समिति की दिनांक 11/06/2019 को संपन्न 280वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 14/06/2019 में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

समिति द्वारा बैठक में विचार – समिति की दिनांक 14/06/2019 को संपन्न 283वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दिनेश कुमार अग्रवाल, पार्टनर एवं श्री जितेन्द्र कुमार तिवारी, प्रोजेक्ट मैनेजर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा परीक्षण किया एवं पाया गया कि:–

1. ग्राम पंचायत बिरकोल द्वारा दिनांक 19/04/2010 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मॉडिफाइड क्वारी प्लान एलॉग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा (वर्ष 2017–18 से 2026–27 तक की अवधि हेतु) अनुमोदित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1883/क/ख.लि./न.क्र./2017 महासमुंद, दिनांक 09/11/2017 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 2 खदानें क्षेत्रफल 23.86 हेक्टेयर है। आवेदित क्वार्टजाइट माईन (ग्राम–बिरकोल) का रकबा 12.0 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित क्वार्टजाइट माईन (ग्राम–बिरकोल) को मिलाकर कुल रकबा 35.86 हेक्टेयर है।
4. समीपस्थ आबादी ग्राम–बिरकोल 1 किलोमीटर एवं सराईपाली 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थिति है। अस्पताल नवागढ़ 4.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेलवे स्टेशन बारगढ़ 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4.5 किलोमीटर एवं राज्यमार्ग 31 किलोमीटर है। लाथ नाला 2 किलोमीटर पर है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) महासमुंद, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 68/क/ख.लि./उ.प./2017 महासमुंद, दिनांक 16/01/2017 द्वारा भू–प्रवेश एवं खनन कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज डीड मेसर्स सुशीला माईनिंग प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर है। लीज डीड 50 वर्षों के लिए 04/01/2017 से 03/01/2067 तक की अवधि हेतु है।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, महासमुंद के ज्ञापन दिनांक 30/05/2019 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र से आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 422 से लगभग 100 मीटर पर है एवं गोमर्डा अभयारण्य से 5.08 किलोमीटर दूरी पर है।

9. जियोलॉजिकल रिजर्व 95,35,940 टन एवं माईनेबल रिजर्व 68,57,188 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (1.08 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईस्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर होगी। वर्तमान में लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है। क्रशर इकाई 0.23 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। कव्हर्ड क्रशर का उपयोग किए जाने से वायु प्रदूषण नहीं होना बताया गया है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 13 वर्ष है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। जल की मात्रा 10 किलोलीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति कुआँ से की जाती है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुला क्षेत्र में लगभग 2,400 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

प्रथम पांच वर्षों की उत्पादन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
प्रथम वर्ष (2017–18)	800	1.0	800	1,63,489.1
	20,298	3.0	60,894	
द्वितीय वर्ष (2018–19)	22,000	3.0	66,000	1,74,900
तृतीय वर्ष (2019–20)	25,000	3.0	75,000	1,98,750
चतुर्थ वर्ष (2020–21)	30,000	3.0	90,000	2,38,500
पंचम वर्ष (2021–22)	34,000	3.0	1,02,000	2,70,300

आगामी पांच वर्षों की उत्पादन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
छठवे वर्ष (2022–23)	13,862	3.0	41,586	3,48,702.9
	30,000	3.0	90,000	
सातवे वर्ष (2023–24)	55,000	3.0	1,65,000	4,37,250
आठवे वर्ष (2024–25)	28,000	3.0	84,000	5,00,850
	35,000	3.0	1,05,000	
नौवे वर्ष (2025–26)	67,000	3.0	2,01,000	5,32,650
दसवे वर्ष (2026–27)	70,000	3.0	2,10,000	5,56,500

10. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** पूर्व में खसरा नं. 964, ग्राम–बिरकोल, तहसील–सराईपाली, जिला–महासमुंद, कुल लीज क्षेत्र 12.0 हेक्टेयर में क्वार्टजाइट माईन (गौण खनिज) क्षमता–25,000 घनमीटर (60,006 टन) /वर्ष हेतु एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 923, दिनांक 12/09/2016 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कार्यालय महासमुंद, छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 01/01/2017 से 31/03/2017 में कुल 1,849 टन एवं दिनांक 01/04/2017 से 31/03/2018 में कुल 13,493 टन तथा 01/04/2018 से 31/03/2019 में कुल 21,923 टन किए गए उत्खनन का माहवार विवरण प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. इस खदान में 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल का क्लस्टर निर्मित हो रहा है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1883/क/ख.लि./न.क्र./2017 महासमुंद, दिनांक 09/11/2017 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 2 खदानें क्षेत्रफल 23.86 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–बिरकोल) का रकबा 12 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–बिरकोल) को मिलाकर कुल रकबा 35.86 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गईः–

i. District Survey Report (D.S.R.) shall be submitted as per O.M. dated 25/07/2018 issued by Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Government of India.

ii. Project Proponent shall submit an action plan for plantation around 7.5 meter of mine lease periphery within one year alongwith photographs.

iii. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

iv. As per O.M. dated 01/05/2018 issued by Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Government of India, proposals regarding Corporate Environment Responsibility (C.E.R.) shall be incorporated.

v. Project proponent shall submit compliance report for Environment Clearance from Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur.

vi. Project proponent shall submit the certificate from Chief Wildlife Warden regarding exact distance of Gomarda / nearest sanctuary from lease boundary.

vii. Project proponent shall submit NOC from CGWA for withdrawal of ground water (if required).

vii. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स मेड़ेसरा लाईम स्टोन माईन (प्रो.–श्री संजय श्रीवास्तव), ग्राम–मेड़ेसरा, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 777)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 32004/2019, दिनांक 27/02/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 07/03/2019 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 11/05/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान है। ग्राम–मेड़ेसरा, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 990(पार्ट), 992/1, 992/2, 993/1, 993/2 एवं 993/3, कुल क्षेत्रफल – 4.95 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,10,000 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व बैठक का विवरण – समिति की दिनांक 11/06/2019 को संपन्न 280वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 14/06/2019 में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

समिति द्वारा बैठक में विचार – समिति की दिनांक 14/06/2019 को संपन्न 283वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजय श्रीवास्तव, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा परीक्षण किया एवं पाया गया कि:–

1. ग्राम पंचायत मेड़ेसरा द्वारा दिनांक 22/07/2009 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईनिंग प्लान एलॉग विथ प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक दुर्ग/चूप/खयो–1188/2018, दिनांक 14/02/2018 अनुमोदित है।
3. एल.ओ.आई. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग के ज्ञापन दिनांक 06/05/2017 द्वारा जारी किया गया है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, एनिकेट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि नहीं है।

5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 132/खनिज/2019 दुर्ग, दिनांक 02/05/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 2 खदानें क्षेत्रफल 19.56 हेक्टेयर है।

6. समीपस्थ आबादी ग्राम–मेड़ेसरा 0.82 किलोमीटर एवं धमधा 8.5 की दूरी पर स्थित है। स्कूल ग्राम–मेड़ेसरा 1.39 किलोमीटर एवं अस्पताल ग्राम–नंदनी–खुदंनी 2.1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेलवे स्टेशन भिलाई पावर हाऊस 19.4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 1.23 किलोमीटर है। शिवनाथ नदी 2.65 किलोमीटर पर है।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

8. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, दुर्ग के ज्ञापन दिनांक 09/05/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार प्रस्तावित भूमि वनक्षेत्र (नंदनी–खुंदनी) से 2.37 किलोमीटर की दूरी पर होना बताया गया है।

9. जियोलॉजिकल रिजर्व 3.276 मिलियन टन एवं माईनेबल रिजर्व 1.879 मिलियन टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.749 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट मेकेनाईस्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। लीज क्षेत्र के भीतर क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु क्रशर को कव्हर्ड किया जाकर, जल का छिड़काव किया जाना बताया गया है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर होगी। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर होगी। ऊपरी की मिट्टी की मोटाई 1.6 से 2.2 मीटर है। खदान की संभावित आयु 22 वर्ष है। ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। जल की मात्रा 4.5 किलोलीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति भू–जल से की जाएगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भू–जल के उपयोग हेतु सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड से अनुमति लिया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाना प्रस्तावित है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुला क्षेत्र में प्रथम वर्ष के दौरान 2,500 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम वर्ष	68,400
द्वितीय वर्ष	68,400
तृतीय वर्ष	90,250
चतुर्थ वर्ष	1,04,500
पंचम वर्ष	1,04,500

10. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस खदान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है।

11. **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–

(अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

(ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

12. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ऊपरी मिट्टी को माईन लीज एरिया में सुरक्षित भण्डारण किया जाकर, माईन क्लोजर के समय वृक्षारोपण हेतु उपयोग किया जाएगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. इस खदान में 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल का क्लस्टर निर्मित हो रहा है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 132/खनिज/2019 दुर्ग, दिनांक 02/05/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 2 खदानें क्षेत्रफल 19.56 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–मेड़ेसरा) का रकबा 4.95 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–मेड़ेसरा) को मिलाकर कुल रकबा 24.51 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गईः–

i. Project Proponent shall submit an action plan for plantation around 7.5 meter of mine lease periphery within one year.

ii. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

iii. As per O.M. dated 01/05/2018 issued by Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Government of India, proposals regarding Corporate Environment Responsibility (C.E.R.) shall be incorporated.

iv. Project Proponent shall submit the proposal for safe storage of top soil within mine lease area.

viii. Project proponent shall submit NOC from CGWA for withdrawal of ground water.

v. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–3: औद्योगिक परियोजना एवं गौण खनिज खदान संबंधी प्रकरणों की जानकारी / दस्तावेज प्राप्ति उपरांत विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन एवं प्रकरण वापस किये जाने हेतु निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स ईन्सपायर इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–भेलाई, तहसील–बलोदा, जिला–जांजगीर चांपा (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 766)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ सीएमआईएन/ 30868/ 2019, दिनांक 25/01/2019 द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 13/05/2019 को टीओआर में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–भेलाई, तहसील–बलोदा, जिला–जांजगीर चांपा स्थित खसरा क्रमांक 183, 217/1, 218, 219, 220, 221, 224, 223, 222, 298/1, 298/2, 298/3, 298/4, 181, 237/18, 236/6, 237/1, 236/1, 235, 236/7, 236/3, 236/4, 236/5, 299/1, 299/2, 237/19, 164/2 एवं 177, कुल क्षेत्रफल – 8.431 हेक्टेयर में कोल वॉशरी क्षमता – 0.99 मिलियन टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु टीओआर बाबत् आवेदन किया गया था। परियोजना का प्रस्तावित विनियोग रुपए 23 करोड़ होगा।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 69 दिनांक 06/05/2019 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) वेट टाईप कोल वॉशरी क्षमता–0.99 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु जारी किया गया था।

समिति द्वारा बैठक में विचार – समिति की दिनांक 14/06/2019 को संपन्न 283वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा परीक्षण किया एवं पाया गया कि:–

1. पूर्व में जारी टीओआर में संशोधन करते हुए कोल वॉशरी (वेट टाईप कोल वॉशरी) कुल क्षेत्रफल – 0.99 हेक्टेयर के स्थान पर कुल क्षेत्रफल – 8.431 हेक्टेयर किये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुरोध किया गया है।
2. पूर्व में जारी टीओआर में त्रुटिवश टीओआर के विषय एवं प्रस्ताव के विवरण में कुल क्षेत्रफल – 0.99 हेक्टेयर का उल्लेख हो गया है। इस त्रुटि को सुधार करते हुए, कुल क्षेत्रफल – 0.99 हेक्टेयर के स्थान पर 8.431 हेक्टेयर हेतु संशोधन किया जाना है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से ग्राम–भेलाई, तहसील–बलोदा, जिला–जांजगीर चांपा स्थित खसरा क्रमांक 183, 217/1, 218, 219, 220, 221, 224, 223, 222, 298/1, 298/2, 298/3, 298/4, 181, 237/18, 236/6, 237/1, 236/1, 235, 236/7, 236/3, 236/4, 236/5, 299/1, 299/2,

237/19, 164/2 एवं 177, कुल क्षेत्रफल – 0.99 हेक्टेयर के स्थान पर 8.431 हेक्टेयर में कोल वॉशरी क्षमता – 0.99 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु टीओआर के विषय एवं प्रस्ताव के विवरण में संशोधन जारी किए जाने की अनुशंसा की गई। टीओआर के शेष बिन्दु यथावत रहेंगे।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स बलदेव एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड, युनिट–II, ग्राम–सिलतरा, समीपस्थ फेज–2 सिलतरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 603)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 19496/ 2012, दिनांक 31/05/2017।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–सिलतरा, समीपस्थ फेज–2 सिलतरा इण्डस्ट्रीयल क्षेत्र, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 114/2, 114/3, 114/4, 114/5, 114/8 एवं 114/9, कुल क्षेत्रफल – 8.0 एकड़, युनिट–II, में स्टील मेल्टिंग शॉप क्षमता – 28,800 टन प्रतिवर्ष से 1,68,000 टन प्रतिवर्ष (प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत), न्यू रोलिंग मिल क्षमता– 1,68,000 टन प्रतिवर्ष एवं कोल गैसीफायर क्षमता – 11,000 सामान्य घनमीटर/घण्टा के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् परियोजना का विनियोग रुपए 48.75 करोड़ प्रस्तावित है।

समिति की दिनांक 16/06/2017, 25/07/2017, 09/09/2017, 20/07/2018, 28/08/2018 एवं 31/08/2018 को क्रमशः संपन्न 230वीं, 231वीं, 236वीं, 250वीं, 251वीं एवं 254वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया था।

समिति की दिनांक 28/10/2018 को संपन्न 261वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय प्रकरण में परीक्षण उपरांत प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् ग्राम–सिलतरा, समीपस्थ फेज–2 सिलतरा इण्डस्ट्रीयल क्षेत्र, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 114/2, 114/3, 114/4, 114/5, 114/8 एवं 114/9, युनिट–II, कुल क्षेत्रफल – 8.0 एकड़ में स्टील मेल्टिंग शॉप क्षमता– 28,800 टन प्रतिवर्ष (थ्रू आर्क फर्नेस) से 1,68,000 टन प्रतिवर्ष (थ्रू इण्डक्शन फर्नेस 1X10 टन + 1X15 टन = 1,39,200 टन प्रतिवर्ष एवं आर्क फर्नेस 28,800 टन प्रतिवर्ष), न्यू रोलिंग मिल क्षमता–1,68,000 टन प्रतिवर्ष (थ्रू हॉट चार्ज्ड रोलिंग मिल) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 22/01/2019 को संपन्न 81वीं बैठक में विचार किया गया था। प्राधिकरण द्वारा नस्ती एवं एस.के. फरहान एण्ड एसोसिएट्स, एडवोकेट्स एण्ड कंसलटेन्स द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 15/12/2018 का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा तत्समय नोट किया गया था कि उपरोक्त लॉ–फर्म द्वारा (श्री राजीव कपूर एवं श्री संजय कपूर की ओर से) दिनांक 15/12/2018 को मेसर्स बलदेव एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड के नाम से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु कूटरचित/ मनगढ़ंत ई.आई.ए. रिपोर्ट किसी श्री राजेश गौर द्वारा प्रस्तुत करने बाबत् पत्र प्रेषित किया गया है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि दिनांक 29/05/2017 को श्री राजेश गौर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, मेसर्स बलदेव एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड द्वारा

कंपनी की ओर से एक ई.आई.ए. रिपोर्ट पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत की गई है। उनके क्लाईन्ट मेसर्स बलदेव एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड में संचालक मंडल में है, तथा संचालक मंडल द्वारा श्री राजेश गौर को कभी भी नियुक्त नहीं किया गया है और न ही कंपनी की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि श्री राजेश गौर को कंपनी अथवा उनके पक्षकार द्वारा अधिकृत नहीं किये जाने के कारण श्री राजेश गौर कंपनी अथवा उनके पक्षकार का पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। अतः उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज तथा अन्य जानकारियों को रिकार्ड में न लिया जाए। उक्त सूचना पत्र में श्री राजेश गौर के विरूद्ध सुसंगत कानूनी कार्यवाही हेतु कदम उठाये जाने की जानकारी देते हुये प्राधिकरण से भी श्री राजेश गौर के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है। साथ ही मेसर्स बलदेव एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर विचाराधीन प्रकरणों में समस्त कार्यवाहियाँ स्थगित रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के परिपेक्ष्य में प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण उपरांत पूर्व अनुशंसा पर पुनःविचार हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को निर्देशित किया जाए।

समिति की दिनांक 01/02/2019 को संपन्न 269वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय पत्र का अवलोकन किया गया। उपरोक्त तथ्यों के संदर्भ में समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि उक्त पत्र के संबंध में विधि शाखा को अभिमत हेतु प्रेषित किया जाए। इस बाबत् वर्तमान में विधि शाखा से अभिमत प्रेषित नहीं किया गया है।

इस दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा उद्योग के नाम परिवर्तन (मेसर्स बलदेव एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड, युनिट–II, ग्राम–सिलतरा, तहसील व जिला–रायपुर के स्थान पर मेसर्स रामा उद्योग प्राईवेट लिमिटेड, युनिट–II, ग्राम–सिलतरा, तहसील व जिला–रायपुर) हेतु दिनांक 30/01/2019 को अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति की दिनांक 27/03/2019 को संपन्न 273वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय परीक्षण किया एवं विधि शाखा से प्राप्त अभिमत पर चर्चा किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि आवेदित प्रकरण पर शिकायत प्राप्त होने के कारण परियोजना प्रस्तावक को समिति के समक्ष प्रकरण से संबंधित समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेजों के साथ आगामी बैठक में उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया जाए। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/04/2019 द्वारा बैठक में उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया।

समिति की दिनांक 15/04/2019 को संपन्न 274वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया था। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 15/04/2019 द्वारा सूचना दिया गया कि समिति के समक्ष अपरिहार्य कारणों से बैठक में उपस्थित होना संभव नहीं है। समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक में अन्य समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित आगामी बैठक में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाए। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 10/05/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

समिति की दिनांक 14/05/2019 को संपन्न 277वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया था। प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजय गोयल, मैनेजिंग डॉयरेक्टर, मेसर्स रामा उद्योग प्राईवेट लिमिटेड एवं श्री श्याम सोमनी, डॉयरेक्टर, मेसर्स बलदेव एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड उपस्थित हुए। समिति द्वारा तत्समय प्रकरण में परीक्षण उपरांत निम्न स्थिति पाई गयी थी:–

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि वर्ष 2004 में मेसर्स बलदेव एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड में श्री राजीव कपूर एवं श्री श्याम सोमनी 50–50 प्रतिशत शेयर होल्डर थे। वर्ष 2013 में संगम ग्रुप 40 प्रतिशत शेयर होल्डर एवं श्री राजीव कपूर तथा श्री श्याम सोमनी 30–30 प्रतिशत शेयर होल्डर थे।
2. श्री संजीव कपूर, श्री राजीव कपूर, श्री श्याम सोमनी एवं श्री जितेन्द्र सोमनी दिनांक 04/10/2017 तक कंपनी के डॉयरेक्टर के रूप में थे। वर्तमान में 3 डॉयरेक्टर श्री संजीव कपूर, श्री श्याम सोमनी एवं श्री जितेन्द्र सोमनी हैं।
3. अगस्त 2014 में उद्योग में उत्पादन कार्य बंद हो गया एवं नवंबर 2014 में उद्योग एनपीए घोषित हो गया। दिनांक 31/03/2017 को मेसर्स बलदेव एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड की सिलतरा यूनिट को मेसर्स रामा उद्योग प्राईवेट लिमिटेड को विक्रय (सेल डीड रजिस्ट्री का कार्य) किया गया।
4. श्री राजेश गौर को मेसर्स बलदेव एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड में दिनांक 01/03/2017 को सी.ओ.ओ. के रूप में नियुक्त किया गया था तथा उन्हें विभिन्न विभागों में मेसर्स बलदेव एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड की ओर से दस्तावेज प्रस्तुत करने, आवश्यक उत्तर प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया था।
5. श्री संजय गोयल एवं श्री सुरेश गोयल वर्तमान में मेसर्स रामा उद्योग प्राईवेट लिमिटेड के डॉयरेक्टर हैं।

विचाराधीन उद्योग को क्रय एवं विक्रय बाबत् संबंधित कंपनी द्वारा पारित बोर्ड रीजॉल्युशन की प्रति, सेल डीड रजिस्ट्री की प्रति, भूमि नामांतरण आदेश एवं बी–1 खसरा की प्रति आदि दस्तावेज समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करने पर श्री संजय गोयल, मैनेजिंग डॉयरेक्टर, मेसर्स रामा उद्योग प्राईवेट लिमिटेड एवं श्री श्याम सोमनी, डॉयरेक्टर, मेसर्स बलदेव एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड द्वारा बताया गया कि उक्त दस्तावेज अभी तत्काल में उपलब्ध नहीं है तथा उक्त दस्तावेज उनके कार्यालय में है। अतः उपरोक्त दस्तावेज एवं संबंधित अन्य जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु समिति से समय की मांग की गई।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से उपरोक्त दस्तावेजों एवं संबंधित अन्य जानकारी / दस्तावेजों प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। जानकारी / दस्तावेज प्राप्ति उपरांत प्रकरण विचार हेतु प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 01/06/2019 द्वारा आवेदित प्रकरण को वापस लेने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा बैठक में विचार – समिति की दिनांक 14/06/2019 को संपन्न 283वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा उद्योग के पत्र दिनांक 30/01/2019 तथा का अवलोकन किया गया। पत्र के साथ उद्योग प्रबंधन द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंण्डल, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 2464/तक./मु./छ. ग.प.सं.मं./2017 नया रायपुर दिनांक 05/08/2017 के माध्यम से उद्योग नाम "मेसर्स बलदेव एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–सिलतरा, विकासखण्ड–धरसींवा, जिला–रायपुर" के स्थान पर "मेसर्स रामा उद्योग प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–सिलतरा, विकासखण्ड–धरसींवा, जिला–रायपुर" किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के आवेदन को वापस लेने हेतु प्रस्तुत अनुरोध पत्र दिनांक 01/06/2019 को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने की अनुशंसा की गई।
राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–4: गौण खनिज खदान संबंधी प्रकरणों की जानकारी / दस्तावेज के अभाव में विचार कर डि–लिस्ट / निरस्त किये जाने हेतु निर्णय लिया जाना।

1. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत शिवरीनारायण (भोगहापारा रेत खदान), ग्राम–भोगहापारा, तहसील–नवागढ़, जिला–जांजगीर चांपा (615)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 65622 / 2017, यह आवेदन दिनांक 21/06/2017 को ऑनलाईन प्राप्त हुआ है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने के कारण परियोजना प्रस्तावक को पत्र दिनांक 10/07/2017 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 17/07/2017 को ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। खदान खसरा नं. 1111, ग्राम–भोगहापारा, तहसील–नवागढ़, जिला–जांजगीर चांपा, कुल लीज क्षेत्र 20 हेक्टेयर में क्षमता विस्तार के तहत् उत्खनन क्षमता–3,00,000 घनमीटर / वर्ष से 5,00,000 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदित है। उत्खनन महानदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता– 5,00,000 घनमीटर / वर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:–

1. कार्यालय नगर पंचायत शिवरीनारायण का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित / सीमांकित कर घोषित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 385/ख.लि./2017 जांजगीर, दिनांक 12/06/2017 के अनुसार आवेदित रेत खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रस्तावित रेत खदान की 200 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो श्री के.के. गोलघाटे, खनि अधिकारी, जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ द्वारा अनुमोदित है।

प्रस्ताव की सामान्य जानकारी –

1. समीपस्थ आबादी ग्राम–भोगहापारा 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। सरकारी अस्पताल 1.0 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 18.0 कि.मी. की दूरी पर है।

2. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
3. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 5.0 मीटर
4. आवेदन अनुसार रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2.5 मीटर
5. आवेदन अनुसार खनन स्थल की चौड़ाई – औसत 200 मीटर
6. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – औसत 700 मीटर
7. आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा – 10,00,000 घनमीटर

प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार – परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस. ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 22/07/2017 के द्वारा सूचित किया गया। समिति की दिनांक 26/07/2017 को संपन्न 232वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री रविन्द्र कुमार शुक्ला, मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं श्रीमती शबीना टंडन, खनि निरीक्षक उपस्थित थे। समिति द्वारा तत्समय प्रकरण में परीक्षण उपरांत निम्न स्थिति पाई गयी थी:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– पूर्व में रेत खदान खसरा नं.– 1111, रकबा– 20 हेक्टेयर, क्षमता– 3,00,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र कमांक 5065 दिनांक 17/03/2016 के द्वारा 02 वर्ष की अवधि हेतु दिया गया।
2. **पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो की जानकारी:**– जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आंकड़ों सहित रेत के पुर्नभरण (रिप्लेनिशमेंट) बाबत् गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन रिपोर्ट अनुसार रिप्लेनिशमेंट स्टडी हेतु मई 2015 से नवंबर 2015 तक एवं मई 2016 से अब तक के आकड़ों का समावेश किया गया है। तापमान में भिन्नता एवं सीजन में परिवर्तन के साथ, मध्यम (Moderate) वर्षा होती है, जिससे नदी में क्षरण पदार्थों का परिवहन भी मध्यम (Moderate) होता है। महानदी के कैचमेंट क्षेत्र में सामान्य वार्षिक वर्षा 1203.73 मिलीमीटर तथा कुल रनऑफ 1068.60 मिलीमीटर है। गणना के अनुसार मानसून के पश्चात् महानदी के कैचमेंट क्षेत्र में रेत का पुर्नभरण लगभग 672401 घनमीटर/वर्ष है। मौके पर लिये गये डेटा के अनुसार रेत उत्खनन से जिन स्थानों पर गढ्ढा बन गया था तथा कई स्थानों पर 03 मीटर के आसपास गहरा था, उन स्थानों पर वर्ष 2015 एवं वर्ष 2016 के मानसून के पश्चात् रेत भरी पाई गई है। कुछ स्थानों पर नदी की पूर्व सतह से 30 से 40 सेण्टीमीटर अधिक ऊंचाई तक रेत का पुर्नभरण पाया गया। इससे स्पष्ट होता है कि जितनी मात्रा में रेत उत्खनन हुआ है, उससे अधिक मात्रा में रेत का पुर्नभरण होता है।

समिति द्वारा तत्समय प्रकरण में परीक्षण उपरांत स्थिति पाई गयी थी कि इस स्थल पर पूर्व में दिनांक 17/03/2016 को पर्यावरणीय स्वीकृति 02 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत रेत के पुर्नभरण (रिप्लेनिशमेंट) बाबत् अध्ययन रिपोर्ट में मानसून 2017 के बाद के डेटा का समावेश नहीं किया गया है। अध्ययन रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि रेत उत्खनन

के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा है अथवा नहीं?

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को मानसून 2017 के बाद की मॉनिटरिंग करने के पश्चात् प्राप्त डेटा का समावेश करते हुये रेत उत्खनन के कारण नदी जल के वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ने बाबत् निष्कर्ष के साथ गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाए। साथ ही क्षमता विस्तार का प्रकरण होने के कारण क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालनार्थ की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी मंगाई जाए।

समिति द्वारा बैठक में विचार – समिति की दिनांक 14/06/2019 को संपन्न 283वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा परीक्षण किया एवं पाया गया कि क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर एवं परियोजना प्रस्तावक को पत्र दिनांक 23/08/2017 एवं 06/05/2019 द्वारा जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु पत्र लिखा गया, परंतु उक्त पत्र के परिपेक्ष्य में क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा आज दिनांक तक कोई भी उत्तर / अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस बाबत् कोई रूचि नहीं ली जा रही है। पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी आवेदन काफी समय से लंबित है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने एवं इस बाबत् किये गये पत्राचार का कोई उत्तर / अनुरोध प्रस्तुत नहीं करने के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

2. सरपंच, ग्राम पंचायत खोरसी, ग्राम–खोरसी, तहसील–पामगढ़, जिला–जांजगीर–चांपा (178)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन /33366/2015, यह आवेदन दिनांक 27/11/2015 को ऑनलाईन प्राप्त हुआ था। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 1893/ख.लि./2015 जांजगीर, दिनांक 09/12/2015 के द्वारा अग्रेषित किया गया था।

प्रस्ताव का विवरण – यह एक संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। खदान पार्ट ऑफ खसरा नं. 1001/3, ग्राम–खोरसी, ग्राम पंचायत खोरसी, तहसील–पामगढ़, जिला–जांजगीर चांपा, कुल लीज क्षेत्र 6.07 हेक्टेयर में है। उत्खनन महानदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता– 91,050 घनमीटर / वर्ष है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुये पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र कमांक 4971 दिनांक 14/03/2016 (जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु) के वैधता वृद्धि हेतु आवेदन किया गया है।

पूर्व बैठक का विवरण – समिति की दिनांक 19/01/2018 को संपन्न 246वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा नस्ती/ जानकारी / रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा तत्समय प्रकरण में परीक्षण उपरांत निम्न स्थिति पाई गयी थीः–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः**– पूर्व में रेत खदान पार्ट ऑफ खसरा नं.– 1001/3, रकबा–6.07 हेक्टेयर, क्षमता–90,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र कमांक 4971 दिनांक 14/03/2016 के द्वारा जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिया गया था।
2. **पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो की जानकारीः**– पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 28/12/2017 को उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आंकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आंकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है। गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट में महानदी बेसिन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के जिलेवार वर्ष 2012 से 2016 तक के वर्षा संबंधी आकड़ों (Rainfall data) का समावेश किया गया है। गणना अनुसार औसत वार्षिक वर्षा का कैचमेंट एरिया 43,904 वर्ग किलोमीटर है। उपरोक्तानुसार 02 इंच से अधिक रन ऑफ को आधार मानकर गणना करने पर कुल रन ऑफ 1065.659 मिलीमीटर है। अतः Dendy-Bolton Formula से गणना अनुसार कैचमेंट एरिया में लगभग 9,93,791.49 टन/वर्ष अवसाद (Sediment) उत्पन्न होगा।
5. वर्ष 2016 के पोस्ट मानसून आंकड़े एवं वर्ष 2017 के प्री मानसून तथा पोस्ट मानसून आंकड़ों के अनुसार रेत उत्खनन से होने वाले पिट्स की गहराई लगभग 1.5 मीटर है, जिसकी समुद्र तल से उंचाई लगभग 222–221 मीटर (222–221 MSL) है। उपरोक्तानुसार प्रतिवर्ष रेत उत्खनन किये जाने से महानदी बेसिन में रेत का पुनःभराव हो जाता है।
6. रेत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र में उत्खनित मात्रा से अधिक प्रतिवर्ष रेत का पुर्नभरण वर्षाकाल में होना बताया गया है तथा रेत उत्खनन गतिविधियों से नदी एवं पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ना बताया गया है।
7. प्रस्तुत सिल्टेशन स्टडी में निम्न तथ्य स्पष्ट नहीं हो रहे हैंः–
    - प्री मानसून एवं पोस्ट मानसून की अवधि में नदी में रेत सतह का आर.एल. का मापन किसके द्वारा, किस किस तिथि में, किस उपकरण की सहायता से किया गया? आर.एल. मापन हेतु बेंच मार्क की स्थिति एवं इसकी आर.एल. संबंधी जानकारी नहीं है। फील्ड डाटा का संग्रहण किसके द्वारा एवं कब किया

गया है? उक्त तथ्यों का समावेश रिपोर्ट में नहीं किया गया है। प्रस्तुत आकड़ों के सत्यता की पुष्टि हेतु दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी अनुसार शर्त क्रमांक 14, 23 एवं 24 का पालन करने के संबंध में स्पष्ट एवं पूर्ण जानकारी नहीं दिया गया है। साथ ही वृक्षारोपण के संबंध में विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि सिल्टेशन स्टडी में उक्त तथ्यों / जानकारियों का समावेश किया जावे तथा प्रस्तुत आकड़ों के सत्यता की पुष्टि हेतु मूल दस्तावेज प्रस्तुत किया जावे। यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही की पुष्टि हेतु फोटोग्राफ्स सहित उपयुक्त जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत की जावे।

एस.ई.ए.सी., छ.ग. के पत्र दिनांक 31/01/2018 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में चाही गई जानकारी/दस्तावेज दिनांक 05/07/2018 एवं 18/07/2018 को प्रस्तुत किया गया है।

समिति की दिनांक 30/08/2018 को संपन्न 253वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा तत्समय प्रकरण में परीक्षण उपरांत निम्न स्थिति पाई गयी थी:—

1. उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन करने एवं तत्संबंधी आंकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु रायपुर स्थित, तकनीकी सलाहकार कंपनी मेसर्स अवनि जियो एक्सप्लोरेशन माईनिंग प्राईवेट लिमिटेड द्वारा अध्ययन किया गया है।
2. नदी के स्वीकृत क्षेत्र पर रेत सतह का आरएल का मापन अधोहस्ताक्षरित भौमिकीविदो द्वारा प्री—मानसून अवधि दिनांक 02/06/2016, पोस्ट—मानसून अवधि दिनांक 03/10/2016, प्री—मानसून अवधि दिनांक 04/06/2017 तथा पुनः पोस्ट—मानसून अवधि दिनांक 06/10/2017 का किया गया है। उपरोक्त वर्णित तिथियों पर फील्ड डाटा का संग्रहण किया गया है।
3. खदान क्षेत्र के निर्धारित स्थल पर आरएल के मापन हेतु GRAMIN MAKE GPS, MODEL-GPS MAP64s का उपयोग किया गया है। क्योंकि GPS से 01 मीटर से कम का आरएल वैल्यु मापन सही स्थिति नहीं दर्शाता है। अतः 01 मीटर कम के Depression / Elevation को Tap से नापकर या Physically, Visual गणना के आधार पर लिया गया है। सामान्य रुप से Depression / Elevation में स्पष्टता बनी रहे। अतः प्राप्त आंकड़ों को 0.5 मीटर Round up कर दर्शाया गया है। आंकड़ो की सत्यता की पुष्टि हेतु डाटा शीट की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है।
4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी अनुसार शर्त क्रमांक 14, 23 एवं 24 का पालन करने अथवा न करने के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। साथ ही वृक्षारोपण के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही की अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुत आकड़ों के सत्यता की पुष्टि हेतु खनिज विभाग से प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाए।

समिति द्वारा बैठक में विचार – समिति की दिनांक 14/06/2019 को संपन्न 283वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा परीक्षण किया एवं पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पत्र दिनांक 24/10/2018 एवं 06/05/2019 द्वारा जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु पत्र लिखा गया, परंतु उक्त पत्र के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा आज दिनांक तक कोई भी उत्तर / अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस बाबत् कोई रूचि नहीं ली जा रही है। पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी आवेदन काफी समय से लंबित है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने एवं इस बाबत् किये गये पत्राचार का कोई उत्तर / अनुरोध प्रस्तुत नहीं करने के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

3. सरपंच, ग्राम पंचायत कमरीद, ग्राम–देवरघटा, तहसील–पामगढ़, जिला–जांजगीर –चांपा (2100)

ऑफलाईन आवेदन – पूर्व में संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 3077/खनि.–2/न.क्र.01/2015 रायपुर दिनांक 09/06/2015 के द्वारा अग्रेषित किया गया था।

प्रस्ताव का विवरण – यह एक पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। खदान खसरा नं. 273, ग्राम–देवरघटा, ग्राम पंचायत कमरीद, तहसील–पामगढ़, जिला–जांजगीर–चांपा के अंतर्गत कुल लीज क्षेत्र 6.0 हेक्टेयर में है। उत्खनन महानदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 60,000 घनमीटर /वर्ष है।

पूर्व बैठक का विवरण – समिति की दिनांक 20/01/2018 को संपन्न 247वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा नस्ती/ जानकारी / रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा तत्समय प्रकरण में परीक्षण उपरांत निम्न स्थिति पाई गयी थी:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– पूर्व में रेत खदान पार्ट ऑफ खसरा नं.–273, रकबा–6.0 हेक्टेयर, क्षमता–60,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र कमांक 3002 दिनांक 05/10/2015 के द्वारा जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिया गया था।
2. **पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो की जानकारी:**– पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 16/01/2018 को उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आंकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आंकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है। गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट में महानदी बेसिन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के जिलेवार वर्ष 2012 से 2016 तक के वर्षा संबंधी आकड़ों (Rainfall data) का समावेश किया गया है। गणना अनुसार औसत वार्षिक वर्षा का कैचमेंट एरिया 43,910 वर्ग किलोमीटर है। उपरोक्तानुसार 02 इंच से अधिक रन ऑफ को आधार मानकर गणना करने पर कुल रन ऑफ 1065.659 मिलीमीटर है। अतः Dendy-Bolton Formula से गणना अनुसार कैचमेंट एरिया में लगभग 9,93,880.88 टन/वर्ष अवसाद (Sediment) उत्पन्न होगा।

5. वर्ष 2017 के प्री मानसून तथा पोस्ट मानसून आंकड़ों के अनुसार रेत उत्खनन से होने वाले पिट्स की गहराई लगभग 01 मीटर है, जिसकी समुद्र तल से उंचाई लगभग 219–220 मीटर (219–220 MSL) है। उपरोक्तानुसार प्रतिवर्ष रेत उत्खनन किये जाने से महानदी बेसिन में रेत का पुनःभराव हो जाता है।

6. रेत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र में उत्खनित मात्रा से अधिक प्रतिवर्ष रेत का पुर्नभरण वर्षाकाल में होना बताया गया है तथा रेत उत्खनन गतिविधियों से नदी एवं पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ना बताया गया है।

7. प्रस्तुत सिल्टेशन स्टडी में निम्न तथ्य स्पष्ट नहीं हो रहे हैं:–

   - प्री मानसून एवं पोस्ट मानसून की अवधि में नदी में रेत सतह का आर.एल. का मापन किसके द्वारा, किस किस तिथि में, किस उपकरण की सहायता से किया गया? आर.एल. मापन हेतु बेंचमार्क की स्थिति एवं इसकी आर.एल. संबंधी जानकारी नहीं है। फील्ड डाटा का संग्रहण किसके द्वारा एवं कब किया गया है? उक्त तथ्यों का समावेश रिपोर्ट में नहीं किया गया है। प्रस्तुत आकड़ों के सत्यता की पुष्टि हेतु दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

   - पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी अनुसार शर्त क्रमांक 14, 23 एवं 24 का पालन करने के संबंध में स्पष्ट एवं पूर्ण जानकारी नहीं दिया गया है। साथ ही वृक्षारोपण के संबंध में विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि सिल्टेशन स्टडी में उक्त तथ्यों / जानकारियों का समावेश किया जावे तथा प्रस्तुत आकड़ों के सत्यता की पुष्टि हेतु मूल दस्तावेज प्रस्तुत किया जावे। यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही की पुष्टि हेतु फोटोग्राफ्स सहित उपयुक्त जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत की जावे।

एस.ई.ए.सी., छ.ग. के पत्र दिनांक 31/01/2018 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में चाही गई जानकारी/दस्तावेज दिनांक 05/07/2018 एवं 18/07/2018 को प्रस्तुत किया गया है।

समिति की दिनांक 30/08/2018 को संपन्न 253वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा तत्समय प्रकरण में परीक्षण उपरांत निम्न स्थिति पाई गयी थी:–

1. उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन करने एवं तत्संबंधी आंकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु

रायपुर स्थित, तकनीकी सलाहकार कंपनी मेसर्स अवनि जियो एक्सप्लोरेशन माईनिंग प्राईवेट लिमिटेड द्वारा अध्ययन किया गया है।

2. नदी के स्वीकृत क्षेत्र पर रेत सतह का आरएल का मापन अधोहस्ताक्षरित भौमिकीविदो द्वारा प्री–मानसून अवधि दिनांक 03/06/2016, पोस्ट–मानसून अवधि दिनांक 04/10/2016, प्री–मानसून अवधि दिनांक 05/06/2017 तथा पुनः पोस्ट–मानसून अवधि दिनांक 07/10/2017 का किया गया है। उपरोक्त वर्णित तिथियों पर फील्ड डाटा का संग्रहण किया गया है।

3. खदान क्षेत्र के निर्धारित स्थल पर आरएल के मापन हेतु GRAMIN MAKE GPS, MODEL-GPS MAP64s का उपयोग किया गया है। क्योंकि GPS से 01 मीटर से कम का आरएल वैल्यु मापन सही स्थिति नहीं दर्शाता है। अतः 01 मीटर कम के Depression / Elevation को Tap से नापकर या Physically, Visual गणना के आधार पर लिया गया है। सामान्य रुप से Depression / Elevation में स्पष्टता बनी रहे। अतः प्राप्त आंकड़ों को 0.5 मीटर Round up कर दर्शाया गया है। आंकड़ो की सत्यता की पुष्टि हेतु डाटा शीट की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है।

4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी अनुसार शर्त क्रमांक 14, 23 एवं 24 का पालन करने अथवा न करने के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। साथ ही वृक्षारोपण के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही की अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुत आकड़ों के सत्यता की पुष्टि हेतु खनिज विभाग से प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाए।

समिति द्वारा बैठक में विचार – समिति की दिनांक 14/06/2019 को संपन्न 283वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा परीक्षण किया एवं पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पत्र दिनांक 24/10/2018 एवं 06/05/2019 द्वारा जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु पत्र लिखा गया, परंतु उक्त पत्र के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा आज दिनांक तक कोई भी उत्तर / अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस बाबत् कोई रूचि नहीं ली जा रही है। पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी आवेदन काफी समय से लंबित है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने एवं इस बाबत् किये गये पत्राचार का कोई उत्तर / अनुरोध प्रस्तुत नहीं करने के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–5: **श्री रमेश अग्रवाल द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 22/04/2019 के संबंध में विचार कर निर्णय लिया जाना।**

श्री रमेश अग्रवाल सदस्य, जनचेतना, सत्यम कुंज, नया गंज रायगढ़ (छ.ग.) के द्वारा शिकायत पत्र दिनांक 22/04/2019 (प्राप्ति दिनांक 04/05/2019) प्रेषित किया गया।

शिकायत में मेसर्स शिवाली उद्योग (आई) लिमिटेड, उरला इण्स्ट्रीयल एरिया एवं मेसर्स यूबी वेंचरर्स प्राईवेट लिमिटेड, नयनपुर – गिरवरगंज इण्स्ट्रीयल एरिया में स्थापित उद्योगों को बी–2 केटेगरी के तहत् पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने बाबत् शिकायत की गई है कि उक्त सभी उद्योग अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित नहीं हैं।

उसी प्रकार से (1) मेसर्स अग्रवाल स्ट्रक्चर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–उरला, (2) मेसर्स हनुमान इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–सोण्ड्रा, (3) मेसर्स सार्थक इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–उरला एवं सरोरा, (4) मेसर्स स्कान स्ट्रीप्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–गुमा को बी–1 केटेगरी (ई.आई.ए. अध्ययन तथा लोक सुनवाई बिना) पैरा 7(II) के तहत् पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने बाबत् शिकायत की गई है, कि पैरा 7(II) का उपयोग ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 (यथा संशोधित) प्रावधानों के तहत् नहीं किया गया है। अतः इन उद्योगों को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त किया जाए।

समिति द्वारा बैठक में विचार – समिति की दिनांक 14/06/2019 को संपन्न 283वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा समयाभाव के कारण प्रकरण में चर्चा पूर्ण नहीं हो पायी। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से शिकायतकर्ता के शिकायत पर आगामी बैठक में विचार किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–6: **अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय**

1. **मेसर्स नंदिनी–खुंदिनी लाईम स्टोन माईन (श्री संतोष मिनरल्स), ग्राम–नंदिनी–खुंदिनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (534)**

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी / एमआईएन / 61154/2016, दिनांक 21/12/2016 द्वारा आवेदन किया गया था। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में प्रकरण में पुनःविचार हेतु दिनांक 03/06/2019 को ऑफलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर खदान (मुख्य खनिज) है। खदान खसरा नं. 443, 444 एवं 446, ग्राम–नंदिनी–खुंदिनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग, कुल लीज क्षेत्र 3.11 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 9,000 टन/वर्ष है।

डि–लिस्ट / निरस्त संबंधी जानकारी – परियोजना प्रस्तावक के प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी / एमआईएन / 61154/2016, दिनांक 21/12/2016 के माध्यम से प्रस्तुत आवेदन को पत्र क्रमांक 578 दिनांक 28/10/2017 द्वारा उल्लंघन का प्रकरण होने के कारण डि–लिस्ट / निरस्त किया जा चुका है।

परियोजना प्रस्तावक को तत्समय भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली में आवेदन करने हेतु भी निर्देशित किया गया था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा डि–लिस्ट / निरस्त किए जाने के उपरांत प्रकरण में पुनःविचार हेतु दिनांक 18/08/2018 को ऑफलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तुत अनुरोध पत्र में किसी भी प्रकार के नये तथ्यों का उल्लेख नहीं होने के कारण पत्र पर विचार किया जाना संभव नहीं था। तत्समय प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत अनुरोध पत्र में किसी भी प्रकार के नये तथ्यों का उल्लेख नहीं होने के कारण, ज्ञापन क्रमांक 308, दिनांक 01/12/2018 के माध्यम से अनुरोध पत्र को अमान्य किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पुनःविचार करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा बैठक में विचार – समिति की दिनांक 14/06/2019 को संपन्न 283वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति के समक्ष श्री नितेश चक्रवर्ती, अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित होकर अनुरोध किया गया कि क्लस्टर में आने वाले अन्य प्रकरणों के साथ आवेदित प्रकरण पर ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं लोक सुनवाई की कार्यवाही किया जाना है। अतः आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु अवसर दिये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा परीक्षण किया एवं पाया गया कि:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि दिनांक 13/06/2017 को प्रस्तुतीकरण के दौरान त्रुटिवश डिस्पैच के आंकड़ों को उत्पादन के आंकड़ों में दर्शाया गया था। उक्त की पुष्टि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1051/खनि. लि./खनिज/2018 दुर्ग, दिनांक 02/11/2018 द्वारा जारी वर्ष 2014–15 से वर्ष 2017–18 तक के वर्षवार उत्खनित मात्रा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें उत्खनन निरंक बताया गया है। समिति द्वारा विचार उपरांत इसे मान्य किया गया।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उल्लंघन का प्रकरण नहीं होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिसूचना का.आ. 1030(अ) दिनांक 08/03/2018 तथा ओ.एम. दिनांक 15/03/2018 एवं 16/03/2018 अनुसार निर्धारित समयावधि में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में भी आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाना बताया गया है।
3. ग्राम पंचायत नंदनी–खुंदनी द्वारा दिनांक 11/02/2009 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. मॉडिफिकेशन ऑफ माईनिंग प्लान एण्ड प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप खान नियंत्रक एवं प्रभारी अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के पत्र क्रमांक दुर्ग/चूप/खयो–439 /नाग/ 04–रायपुर दिनांक 11/08/2016 (अवधि 2016–17 से 2019–20 तक हेतु) द्वारा अनुमोदित है।
5. समीपस्थ आबादी ग्राम–नंदनी–खुंदनी 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्कूल एवं अस्पताल ग्राम–नंदनी–खुंदनी 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 06 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1.2 कि.मी. है। शिवनाथ नदी 01 कि.मी की दूरी पर स्थित है।
6. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।

7. लीज डीड श्री संतोष कुमार के नाम पर था। श्री संतोष पाड़े के देहवासन हो जाने कारण उनकी पत्नि श्रीमती अर्चना पाड़े के नाम पर लीज के हस्तांरण हेतु आवेदन किया गया है। लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् 11/10/1995 से 10/10/2015 तक की अवधि हेतु थी। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1263 दिनांक 05/10/2015 द्वारा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के अधीन खनिपट्टा अवधि वृद्धि बाबत् प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. जियोलॉजिकल रिजर्व 9,53,000 टन एवं माईनेबल रिजर्व 93,385 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कास्ट विधि से उत्खनन किया जाता है। वर्तमान में भू–भाग के 2.02 हेक्टेयर क्षेत्र में उत्खनन हुआ है। उत्खनन की वर्तमान गहराई 14 मीटर है। खदान की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 20 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3.0 मीटर एवं चौड़ाई 10 मीटर है। विगत पांच वर्षों में उत्खनित खनिज की मात्रा 33915 मीट्रिक टन है। ड्रिलिंग हेतु जेक हैमर ड्रिल का उपयोग किया जाता है। ब्लास्टिंग किया जाता है। जल की मात्रा 04 कि.ली./दिन है एवं घरेलु उपयोग हेतु 02 कि.ली./दिन जल की आवश्यकता होती है, जिसका स्त्रोत ट्यूबवेल है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जावेगा। वर्षवार उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है :–

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	उत्खनन क्षमता ROM (टन)
2015–2016	Actual			–
2016–2017	1,200	3.0	3,600	9,000
2017–2018	1,200	3.0	3,600	9,000
2018–2019	1,200	3.0	3,600	9,000
2019–2020	1,200	3.0	3,600	9,000

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. इस खदान में 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल का क्लस्टर निर्मित हो रहा है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 2297 दिनांक 28/01/2017 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में कुल 11 खदानें रकबा 68.85 हेक्टेयर स्वीकृत / विद्यमान हैं। आवेदित खदान (ग्राम–नंदिनी–खुंदिनी) का रकबा 3.11 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–नंदिनी–खुंदिनी) को मिलाकर कुल रकबा 71.96 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड

टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project Proponent shall submit an action plan for plantation around 7.5 meter of mine lease periphery within one year.

ii. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

iii. As per O.M. dated 01/05/2018 issued by Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Government of India, proposals regarding Corporate Environment Responsibility (C.E.R.) shall be incorporated.

ix. Project proponent shall submit NOC from CGWA for withdrawal of ground water.

iv. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

2. सरपंच, ग्राम पंचायत त्रिशुली, ग्राम–त्रिशुली, तहसील–रामानुजगंज, जिला–बलरामपुर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 876)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 36182 / 2019, दिनांक 24 / 05 / 2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–त्रिशुली, ग्राम पंचायत त्रिशुली, तहसील – रामानुजगंज, जिला–बलरामपुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 2704, कुल लीज क्षेत्र 10.22 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन पांगन नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,39,060 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

पूर्व बैठक का विवरण – यह प्रकरण प्रथम बार विचार हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा बैठक में विचार – समिति की दिनांक 14 / 06 / 2019 को संपन्न 283वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती / जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह का लेवल्स (Levels) लेकर खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक पिट के अनुसार विभिन्न पिट्स की वास्तविक खुदाई कर, उसके मापन कर खनिज विभाग द्वारा प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।

4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

6. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा द्वारा रेत खदान की 200 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं होने बाबत् प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

7. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की (पठनीय प्रति) प्रस्तुत किया जाए, जिसमें आवेदित क्षेत्र से वन क्षेत्र की दूरी संबंधी जानकारी दिया गया हो।

8. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की पाट की लंबाई एवं चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स बिहावबोड़ क्वार्टजाईट एण्ड सिलिका सेंड क्वारी (श्री गौतम चंद डाकलिया), ग्राम–बिहावबोड़, तहसील व जिला–राजनांदगांव (644)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 20916/2017, दिनांक 06/11/2017 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 36672/ 2019, दिनांक 27/05/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण का उल्लंघन संबंधी विवरण:– समिति अवगत हुई कि भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 के अनुसार मुख्य एवं गौण खनिज के उत्खनन के 5 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण दिनांक 15/09/2017 के अनुसार मुख्य एवं गौण खनिज के ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें दिनांक 15/01/2016 के पश्चात् भी उत्खनन जारी है, को उल्लंघन की श्रेणी में मानना है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित क्वार्टजाईट एण्ड सिलिका सेंड क्वारी (गौण खनिज) खदान है। खदान खसरा नं. 130, ग्राम–बिहावबोड़, तहसील व जिला–राजनांदगांव, कुल लीज क्षेत्र 6.88 हेक्टेयर (17 एकड़) है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 16,000 टन/वर्ष है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/10/2018 द्वारा उल्लंघन का प्रकरण होने के कारण अधिसूचना का.आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्व्हॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्व्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/10/2018 द्वारा परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही करने एवं स्थापना सम्मति / संचालन सम्मति जारी नहीं किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया।

पूर्व बैठक का विवरण – यह प्रकरण प्रथम बार विचार हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा बैठक में विचार – समिति की दिनांक 14/06/2019 को संपन्न 283वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

4. सरपंच, ग्राम पंचायत प्रेमनगर, ग्राम–जमई, तहसील–वाड्रफनगर, जिला–बलरामपुर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 888)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 36876/2019, दिनांक 28/05/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–जमई, ग्राम पंचायत प्रेमनगर, तहसील–वाड्रफनगर, जिला–बलरामपुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 119, 145, 146, 262, 357 एवं 410, कुल लीज क्षेत्र 8.13 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन लेडो नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,10,398 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व बैठक का विवरण – यह प्रकरण प्रथम बार विचार हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा बैठक में विचार – समिति की दिनांक 14/06/2019 को संपन्न 283वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह का लेवल्स (Levels) लेकर खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक पिट के अनुसार विभिन्न पिट्स की वास्तविक खुदाई कर, उसके मापन कर खनिज विभाग द्वारा प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।

4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

6. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा द्वारा रेत खदान की 200 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं होने बाबत् प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

7. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की (पठनीय प्रति) प्रस्तुत किया जाए, जिसमें आवेदित क्षेत्र से वन क्षेत्र एवं निकटतम अभयारण्य से दूरी संबंधी जानकारी दिया गया हो।

8. अनुमोदित माईनिंग प्लान की पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।

9. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की पाट की लंबाई एवं चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

10. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स नुवोको विस्टास कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ग्राम–अरसमेटा, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 638)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ टीएचई/ 28604/ 2017, दिनांक 07/08/2018। वर्तमान में पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन बाबत् दिनांक 31/05/2019 को आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–अरसमेटा, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर चांपा स्थित खसरा क्रमांक 8/1, 8/2, 9, 20, 36, 55 एवं 56 में कोल बेस्ड केप्टिव पावर प्लांट – 20 मेगावॉट की स्थापना हेतु टीओआर बाबत् आवेदन किया गया था। स्थापित सीमेंट प्लांट के कुल क्षेत्रफल 82 हेक्टेयर में से 2.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कोल बेस्ड केप्टिव पावर प्लांट स्थापित किया जाना प्रस्तावित था।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/11/2017 के द्वारा परियोजना प्रस्तावक को बी–1 केटेगरी का होने के कारण स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) ईआईए रिपोर्ट बनाने हेतु जारी किया गया था। तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक द्वारा फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट दिनांक 07/08/2018 को ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया है।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/02/2019 द्वारा ग्राम–अरसमेटा, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर चांपा स्थित खसरा क्रमांक 8/1, 8/2, 9, 20, 36, 55 एवं 56 में कोल बेस्ड केप्टिव पावर प्लांट – 20 मेगावॉट, कुल क्षेत्रफल 82 हेक्टेयर में से 2.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कोल बेस्ड केप्टिव पावर प्लांट स्थापित करने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया था।

पूर्व बैठक का विवरण – यह प्रकरण प्रथम बार विचार हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा बैठक में विचार – समिति की दिनांक 14/06/2019 को संपन्न 283वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। समिति को प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण किया एवं पाया गया कि उद्योग द्वारा राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की अनुमति के बिना उद्योग को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित स्थल के स्थान पर अन्य स्थल पर निर्माण कार्य आरंभ किया जा चुका है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की दो सदस्यीय उपसमिति श्री अरविन्द कुमार गौरहा एवं डॉ. मोहन लाल अग्रवाल, सदस्य के द्वारा उद्योग स्थल का निरीक्षण किया जाए एवं समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उस पर विचार एवं परियोजना प्रस्तावक का पक्ष सुनने के बाद तदनुसार कार्यवाही की जाएगी।

उपसमिति एवं परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स कोटराबुंदेली डोलोमाईट स्टोन (प्रो.–श्री तिलक चन्द्रवंशी), ग्राम–कोटराबुंदेली, तहसील–सहसपुर–लोहारा, जिला–कबीरधाम (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 898ए)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 35828/2019, दिनांक 11/05/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन में तकनीकी त्रुटि होने के कारण दिनांक 06/06/2019 द्वारा प्रस्तुत ऑफलाईन आवेदन को मान्य किए जाने का अनुरोध किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित डोलोमाईट पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–कोटराबुंदेली, तहसील–सहसपुर–लोहारा, जिला–कबीरधाम स्थित खसरा

194/1, 194/2 एवं 194/3, कुल क्षेत्रफल – 2.129 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 99,820.07 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व बैठक का विवरण – यह प्रकरण प्रथम बार विचार हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा बैठक में विचार – समिति की दिनांक 14/06/2019 को संपन्न 283वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में एल.ओ.आई. एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(जी.एल. सांकला)
सदस्य सचिव
राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
छत्तीसगढ़

(धीरेन्द्र शर्मा)
अध्यक्ष
राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
छत्तीसगढ़

मेसर्स अखराडांड आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.–श्री प्रदीप कुमार ठाकुर) को खसरा क्रमांक 201/1, कुल लीज क्षेत्र 1 हेक्टेयर, ग्राम–अखराडांड, तहसील–खड़गवां, जिला–कोरिया में आर्डिनरी स्टोन क्वारी (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता – 1,800 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरण स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से आर्डिनरी स्टोन क्वारी का अधिकतम उत्खनन 1,800 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
3. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था किया जाए एवं किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
4. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाए।
5. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वांइट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत् संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
6. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
7. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।

8. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ–साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।

9. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

10. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिकी अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्डों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

12. खनिज का परिवहन मेकनेकली कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

13. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए:–

<table>
<tr><th rowspan="2">Capital Investment (in Lakh)</th><th rowspan="2">Percentage of Capital Investment to be Spent</th><th rowspan="2">Amount Required for CER Activities (in Lakh)</th><th colspan="2">Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)</th></tr>
<tr><th>Particulars</th><th>CER Fund Allocation (in Rs. Lakh)</th></tr>
<tr><td rowspan="4">Rs. 28</td><td rowspan="4">2%</td><td rowspan="4">Rs. 0.56</td><td colspan="2">Following activities at village-Akharadand</td></tr>
<tr><td>Potable Drinking Water Facility</td><td>Rs. 0.20</td></tr>
<tr><td>Rain Water Harvesting</td><td>Rs. 0.50</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>Rs. 0.70</td></tr>
</table>

14. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

15. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 630 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

16. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2019–20 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।**

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

18. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से ब्लास्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे–छोटे टुकड़ों (फ्लाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

19. उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रकिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

20. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

22. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

23. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

24. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

25. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

26. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी

निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

27. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

28. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

29. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अंबिकापुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।

30. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।

31. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

32. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

33. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

34. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

35. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि मे की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. **अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.**

परिशिष्ट–02

मेसर्स ईस्माइल ट्रेडर्स (मुड़ीझरिया आर्डिनरी स्टोन क्वारी) को खसरा क्रमांक 309, कुल लीज क्षेत्र 1 हेक्टेयर, ग्राम–मुड़ीझरिया, तहसील–बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया में आर्डिनरी स्टोन क्वारी (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता – 2,200 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरण स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से आर्डिनरी स्टोन क्वारी का अधिकतम उत्खनन 2,200 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
3. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था किया जाए एवं किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
4. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाए।
5. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वांइट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत् संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
6. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
7. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।

8. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ–साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।

9. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

10. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिकी अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्डों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

12. खनिज का परिवहन मेकनेकली कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

13. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाएः–

Capital Investment (in Lakh)	**Percentage of Capital Investment to be Spent**	**Amount Required for CER Activities (in Lakh)**	**Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)**	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Rs. Lakh)**
Rs. 28	2%	Rs. 0.56	Following activities at village-Mudijhariya	
			Potable Drinking Water Facility in Primary school	Rs. 0.20
			Rain Water Harvesting in Primary school	Rs. 0.50
			Total	**Rs. 0.70**

14. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

15. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 600 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

16. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2019–20 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।**

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

18. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से ब्लास्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे–छोटे टुकड़ों (फ्लाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

19. उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

20. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

22. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

23. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

24. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

25. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

26. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

27. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तो के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

28. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

29. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अंबिकापुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।

30. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तो के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।

31. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

32. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

33. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण,

वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

34. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

35. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि मे की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. **अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.**